

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

नवीन कुमार राय उर्फ नवीन कुमार राँय

बनाम

सुधा राय

2018 की विविध अपील संख्या 653

19.09.2024

[माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री, माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार

पांडेय]

विचार के लिए मुद्दा

क्या पति को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक का फरमान देने का हक था, परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक विभाजन के फरमान के स्थान पर, दीर्घकालिक विभाजन, पत्नी द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी संबंधी झूठे आरोपों, और वैवाहिक संबंध के पूर्ण टूटने की रोशनी में।

हेडनोट्स

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 — धारा 13(1)(i-a) — क्रूरता के आधार पर तलाक — बिना सबूत के अतिरिक्त-वैवाहिक संबंध के आरोप — निर्णय, पत्नी द्वारा पति के खिलाफ किए गए बेबुनियाद और असत्य आरोप मानसिक क्रूरता के बराबर हैं — विवाह की स्थिति अत्यधिक बिगड़ गई है — परिवार अदालत द्वारा दिए गए न्यायिक पृथक्करण को उच्च न्यायालय द्वारा तलाक के फैसले

में परिवर्तित किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 — धाराएँ 10 और 13 — न्यायिक पृथक्करण बनाम तलाक — जब पक्ष अलग-अलग दशकों से रह रहे हैं, और सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो न्यायिक पृथक्करण का कोई अर्थ नहीं है — उच्च न्यायालय ने न्यायिक पृथक्करण को तलाक के फैसले में परिवर्तित किया। साक्ष्य अधिनियम, 1872 — धारा 101 — प्रमाण का भार — पत्नी ने क्रूरता और दहेज की मांगों का आरोप लगाया — ठोस साक्ष्य के साथ दावों को साबित करने में असफल — भार का निर्वहन नहीं किया गया। पारिवारिक कानून — मानसिक क्रूरता — वह व्यवहार शामिल है जो एक साथी के लिए गहरे मानसिक दर्द, कष्ट और पीड़ा का कारण बनता है — बार-बार झूठे मामले दर्ज करना, बिना सबूत के अनाचार का आरोप लगाना, और सार्वजनिक रूप से पति/ पत्नी को नीचा दिखाना क्रूरता के समान है। प्रक्रिया और विधि - प्रार्थना से परे राहत - अपीलीय अदालत ऐसे तथ्य और कानून होने पर न्यायिक अलगाव के निर्णय को तलाक के निर्णय में संशोधित करने के लिए सक्षम है। निर्णय: उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता के व्यवहार का विश्लेषण किया, विशेषकर उन असजमित आरोपों की जो उसने एक अव्यवस्थित संबंध के बारे में लगाए थे। न्यायालय ने पाया कि का व्यवहार, सालों से (जिसमें असहयोग, क्रूरता, और सार्वजनिक बहसें शामिल थीं) विवाह के पूर्ण रूप से टूटने का कारण बना। अपीलकर्ता ने कई कदम उठाए, जिसमें चिकित्सा उपचार, परामर्श, और अदालत के आदेशों का पालन करना शामिल था, लेकिन संबंध को बहाल नहीं किया जा सका। उत्तरदाता ने पारिवारिकन्यायालय के न्यायिक अलगाव के निर्णय को चुनौती नहीं दी और अपने प्रतिवादित आरोपों को साबित करने में असफल रही। उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया, यह मानते हुए कि विवादित निर्णय और

न्यायिक अलगाव का निर्णय उचित नहीं था। न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को स्थगित कर दिया और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-ए) के तहत अपीलकर्ता के पक्ष में तलाक का निर्णय दिया।

न्याय दृष्टान्त

राकेश रमन बनाम कविता: 2023 एससीसी ऑनलाइन एससीसी 497, सुभ्रांशु सरकार बनाम इंद्राणी सरकार: 2021 एससीसी ऑनलाइन एससीसी 720, समर घोष बनाम जया घोष: (2007) 4 एससीसी 511, वी. भगत बनाम डी. भगत: 1994 एआइआर 710, शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी: (1988) 1 एससीसी 105

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी)

मुख्य शब्दों की सूची

उपलब्ध नहीं है।

प्रकरण से उत्पन्न

19.01.2018 के निर्णय और 25.01.2018 के आदेश से, जो कि दरभंगा के परिवार न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश द्वारा विवाहिक मामले संख्या 10 वर्ष 2009 में पारित किए गए थे।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए: श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता श्री रवि भारद्वाज,
अधिवक्ता; श्री गौरव सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए: श्री बिमल कुमार, अधिवक्ता; श्री बिरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गया: श्री रवि राज, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की विविध अपील सं. 653

=====

नवीन कुमार राय उर्फ नवीन कुमार राँय पिता- श्री सुशील कुमार राय,
निवासी- मोहल्ला- मोगलपुरा, थाना-टाउन, जिला-दरभंगा

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

सुधा राय पति- नवीन कुमार राय, निवासी- गाँव- श्रीदिलपुर, थाना- बहादुरपुर,
जिला- दरभंगा, वर्तमान में निवासी- मोहल्ला-रामबाग, पोस्ट-रामबाग, थाना-
एलएनएम विश्वविद्यालय, जिला-दरभंगा

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

श्री रवि भारद्वाज, अधिवक्ता

श्री गौरव सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री बिमल कुमार, अधिवक्ता

श्री बीरेंद्र कुमार, अधिवक्ता

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे)

दिनांक:- 19-09-2024

वर्तमान विविध अपील, वैवाहिक वाद सं 10/2009 में प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, दरभंगा द्वारा पारित दिनांक 19.01.2018 के निर्णय और दिनांक 25.01.2018 की डिक्री के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके अंतर्गत विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, दरभंगा ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत दायर तलाक याचिका के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित की थी और अपीलकर्ता-पति द्वारा उत्तरदाता-पत्नी को पहले से दिए जा रहे 25,000/- रुपये प्रति माह के भरण-पोषण भत्ते के अतिरिक्त 5,000/- रुपये प्रति माह के अतिरिक्त भरण-पोषण भत्ते के भुगतान का निर्देश दिया था।

2. संक्षेप में, अपीलकर्ता के मामले का तथ्य यह है कि अपीलकर्ता और उत्तरदाता ने 06.05.2001 को मोहल्ला-मिश्राटोला, नगर थाना, जिला-दरभंगा में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। आगे यह भी कहा गया है कि विवाह के बाद दोनों पक्ष दरभंगा, अपीलकर्ता के निवास स्थान पर आ गए, जहाँ से 13.05.2001 को दोनों पक्ष चंडीगढ़ चले गए जहाँ अपीलकर्ता नाबार्ड में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। आगे यह भी कहा गया है कि उत्तरदाता लगभग तीन महीने तक चंडीगढ़ में अपीलकर्ता के साथ रही और मधुश्रावणी उत्सव मनाने के लिए अपने पिता के घर लौट गई, लेकिन जब उत्तरदाता सितंबर 2001 में वापस आई, तो अपीलकर्ता ने उत्तरदाता के रवैये में आमूल-चूल परिवर्तन देखा। उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के चचेरे भाई के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया और अपीलकर्ता के सहकर्मी को नापसंद करने लगी। अपीलकर्ता ने आगे कहा कि 24.04.2002 को वैवाहिक संबंध से

एक लड़के का जन्म हुआ और लड़के के जन्म के बाद उत्तरदाता अपने माता-पिता के घर चली गई। आगे कहा गया कि अपीलकर्ता 10.05.2002 को चंडीगढ़ गया और उत्तरदाता अपीलकर्ता के घर आई, लेकिन उसने अपीलकर्ता की माँ के साथ असामान्य व्यवहार करना शुरू कर दिया और उत्तरदाता ने आरोप लगाया कि उसकी सास उसके बेटे को मार डालेगी और पूरी रात जागती रहती और टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज़ रखती, जिससे बड़ों का अनादर होता था। आगे यह भी कहा गया कि उत्तरदाता ने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया और स्थिति बद से बदतर होती चली गई। यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता द्वारा मामले को शांत करने के लिए सभी उचित कदम उठाए गए, लेकिन वे व्यर्थ गए। आगे कहा गया है कि उत्तरदाता को डॉ. पी.के. सिंह (मानसिक रोग विशेषज्ञ) के पास ले जाया गया, जब उन्होंने अपीलकर्ता के सबसे छोटे चाचा श्री ऋषि कुमार राय (प्राचार्य, नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय, दरभंगा) के पेट में काट लिया था। अपीलकर्ता ने आगे कहा है कि उत्तरदाता अचानक खुली सड़क पर दौड़ने लगी। कई डॉक्टरों से परामर्श किया गया, लेकिन उत्तरदाता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि दिन-ब-दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तरदाता अपने ससुराल वालों से सारे रिश्ते खत्म करना चाहती थी और अपनी सास को डायन कहना शुरू कर दिया। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता के बेहतर इलाज के लिए सभी सावधानियां बरतीं और उत्तरदाता को नेहरू अस्पताल, चंडीगढ़ ले गया क्योंकि उत्तरदाता ने एनआइएमएचएनएस के डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवा लेना बंद कर दिया था। उत्तरदाता को महंगा इलाज दिए जाने के बावजूद, उत्तरदाता को ठीक नहीं किया जा सका। अपीलकर्ता ने यह भी दावा किया है कि डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उत्तरदाता सिज़ोफ्रेनिया का एक पुराना रोगी है और

उसका दोहरा व्यक्तित्व है और वह स्नेहपूर्ण संबंध नहीं रख सकता। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता की उचित देखभाल, पोषण और उपचार किया, लेकिन यह सब व्यर्थ गया और अपीलकर्ता खुद को अकेला पाता है। यहाँ तक कि एक लड़के को भी बेहतर शिक्षा नहीं दी जा रही है और उसका करियर बर्बाद हो रहा है। याचिका में आगे कहा गया है कि इकलौते बेटे को अपीलकर्ता के खिलाफ भड़काया जा रहा है क्योंकि उसे अपने पिता से नफरत करना सिखाया गया है क्योंकि उत्तरदाता और उसके परिवार के सदस्य बेटे (हर्षित कुमार) को अपीलकर्ता की अभिरक्षा में देने के लिए तैयार नहीं हैं। आगे यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी को ठीक करने और सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अपीलकर्ता और उत्तरदाता के बीच विवाह टूट चुका है और अपीलकर्ता के पास तलाक के लिए याचिका दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि 2007 के बाद एक वर्ष से अधिक समय से अपीलकर्ता और उत्तरदाता के बीच कोई सहवास नहीं है और उत्तरदाता ने जानबूझकर अपीलकर्ता को छोड़ दिया और उसकी उपेक्षा की। इसलिए, अपीलकर्ता ने तलाक के लिए याचिका दायर की।

3. उत्तरदाता ने लिखित बयान दायर किया था। उसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की डिक्री जारी करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका का अनुच्छेदवार उत्तर दिया। उत्तरदाता ने विवाह और एक पुत्र के जन्म की बात स्वीकार की, लेकिन उसने यह भी कहा कि 11,00,000 रुपये खर्च किए गए और कार की भी मांग की गई, जिस पर उत्तरदाता सहमत नहीं हुई और सामाजिक मजबूरी में उत्तरदाता-पत्नी को द्विरागमन समारोह (बिदागरी) किए बिना अपीलकर्ता द्वारा चंडीगढ़ लाया गया

और उत्तरदाता ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने समान पद की एक महिला सहकर्मी को अनुचित सम्मान दिया और उक्त महिला के साथ बहुमूल्य समय बिताया। जब उत्तरदाता-पत्नी ने इस कृत्य का विरोध किया, तो उसे प्रताड़ित किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। यह आरोप लगाया गया है कि उत्तरदाता-पत्नी गर्भवती हो गई और जब यह तथ्य अपीलकर्ता-पति को पता चला, तो उसने उत्तरदाता पर गर्भपात कराने का दबाव डाला, जिससे उत्तरदाता सहमत नहीं हुई, जिसके कारण अपीलकर्ता ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उत्तरदाता-पत्नी ने आरोप लगाया है कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई यातना के कारण वह बीमार हो गई। 24.04.2002 को ऑपरेशन के बाद एक बेटे का जन्म हुआ और अब उत्तरदाता का भरण-पोषण उसके माता-पिता कर रहे हैं और अपीलकर्ता-पति ने उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं की। उत्तरदाता-पत्नी का दावा है कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने अपीलकर्ता की शादी होने पर अधिकतम दहेज प्राप्त करने की कोशिश की और उत्तरदाता-पत्नी का आरोप है कि अपीलकर्ता और उसके ससुराल वाले उत्तरदाता-पत्नी का जीवन समाप्त करना चाहते थे। उत्तरदाता-पत्नी ने आगे यह भी दावा किया है कि उसे कुलदेवी के दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। उत्तरदाता अपीलकर्ता के गाँव वाले घर पर रुकी थी, लेकिन संबंधित समय पर अपीलकर्ता और उसके ससुराल वाले गाँव में नहीं आए, जबकि उन्हें पूरी जानकारी थी कि उत्तरदाता के पास दरभंगा स्थित अपने माता-पिता के घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने तलाक याचिका के अनुच्छेद 1, 2 और 3 के तर्क को स्वीकार कर लिया है। उसने तलाक याचिका के अनुच्छेद 4 और 6 को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन और असामान्य व्यवहार था। उसने मानसिक विकार के

आरोप से इनकार किया है और यह भी कहा है कि 23.08.2008 को और फिर अक्टूबर, 2008 में दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर अपीलकर्ता-पति के दस दिन तक वहाँ रहने के दौरान शारीरिक संबंध बने थे। उत्तरदाता-पत्नी ने इस मुख्य आरोप से इनकार किया है कि वह सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। उसने अपीलकर्ता-पति के विरुद्ध कोई अत्याचारी व्यवहार नहीं किया है, बल्कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके विरुद्ध अत्याचारी व्यवहार किया है। उसने यह भी इनकार किया है कि उसका अपीलकर्ता-पति से कोई संबंध नहीं है।

4. उत्तरदाता ने अपीलकर्ता-पति से तलाक लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 ए के तहत प्रतिवाद दायर करके अपने पति-अपीलकर्ता के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ अलग से राहत मांगी। उसने तलाक याचिका की धारा 13 के तहत तलाक मांगने के आधार के रूप में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और उसने वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका में दावा किया है कि वह अपने पति-अपीलकर्ता और अपने बेटे के साथ रहने के लिए तैयार है और उसने अपने पति के साथ रहने के लिए राहत मांगी है। उसने प्रार्थना की है कि अपीलकर्ता को उत्तरदाता को पत्नी के रूप में रखने का निर्देश दिया जाए।

5. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 ए के तहत उत्तरदाता-पत्नी द्वारा दिनांक 23.07.2012 को दायर प्रतिदावे के संबंध में अपीलकर्ता की ओर से लिखित प्रस्तुतीकरण। अपीलकर्ता-पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर तलाक याचिका में उल्लिखित याचिका का पूरी तरह से दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सुलह की उम्मीद हर तरह

से बेकार हो गई क्योंकि उत्तरदाता-पत्नी ने 2007 के बाद 8 साल से अधिक समय से अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार किया है और धारा 23 ए के तहत याचिका तीन साल से अधिक समय बाद दायर की गई है और इसे खारिज किया जाना उचित है।

6. धारा 23 ए के तहत आवेदन प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, दरभंगा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसे सीडब्ल्यूजेसी सं 21489/2014, एमए सं 72/2013 में चुनौती दी गई है और इस न्यायालय की एकल पीठ ने अपीलकर्ता-पति की ओर से दायर रिट आवेदन को खारिज कर दिया है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा अभिलेख में पेश किए गए साक्ष्यों, मेडिकल डिस्चार्ज स्लिप, पर्चे को समझने में विफल रहा, जो इस तथ्य का समर्थन करते थे कि उत्तरदाता वैवाहिक दायित्व निभाने के योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि उत्तरदाता-पत्नी द्वारा लगाए गए विवाहेतर संबंध के निराधार आरोप मानसिक क्रूरता के बराबर हैं, क्योंकि इसे **नरेंद्र बनाम के. मीणा** मामले में तलाक का आधार माना गया है, जिसकी रिपोर्ट **एआईआर 2016 एससी 4599** में दर्ज की गई है। पक्षकार पिछले दस वर्षों से एक साथ नहीं रह रहे हैं, जिसके लिए यह तर्कसंगत रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि पक्षों के बीच विवाह पूरी तरह से टूट चुका है और तलाक का आदेश पारित किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी है कि 19.01.2018 के फैसले और 25.01.2018 की डिक्री की तारीख से अब तक छह साल बीत चुके हैं और वैवाहिक संबंध या वैवाहिक दायित्व स्थापित करने का कोई समाधान नहीं निकला है। इस कारण से मानसिक

क्रूरता के आधार पर तलाक का आधार अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि पक्षकार लंबे समय से मुकदमा लड़ रहे हैं और अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा गंवा चुके हैं और साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए तलाक की डिक्री के माध्यम से उनकी मानसिक पीड़ा को कम करना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि जहां तक उत्तरदाता-पत्नी द्वारा लगाए गए विवाहेतर संबंध के आरोप का संबंध है, अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि अपीलकर्ता का अपने सहकर्मी के साथ विवाहेतर संबंध रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी दलील दी है कि माननीय न्यायालय ने माना है कि उत्तरदाता-पत्नी द्वारा विवाहेतर संबंध के बारे में लगाए गए निराधार आरोप मानसिक क्रूरता के समान हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत अपीलकर्ता ने तलाक का आदेश प्राप्त करने के लिए उत्तरदाता-पत्नी के खिलाफ मुकदमेबाजी में अपना अधिकांश करियर बिताया है। उसने बहुत मानसिक पीड़ा झेली है और एकांत जीवन व्यतीत किया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि चूंकि विवाह का उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि दोनों पक्ष वर्ष 2011 के बाद अलग-अलग रह रहे हैं और न्यायिक अलगाव के आदेश के बाद भी, साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए विवाह समाप्त हो गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने राकेश रमन बनाम कविता के निर्णय का हवाला दिया, जो 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 497 में सूचित किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 20(xiv) में यह टिप्पणी की गई है, जो इस प्रकार है:-

"20(xiv) जहाँ लगातार अलगाव की लंबी अवधि रही हो, वहाँ यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन अब सुधार के परे है।

विवाह एक कल्पना बन जाता है, हालाँकि उसे कानूनी बंधन का समर्थन प्राप्त है। उस बंधन को तोड़ने से इनकार करके, ऐसे मामलों में कानून विवाह की पवित्रता की रक्षा नहीं करता; इसके विपरीत, यह पक्षों की भावनाओं और भावनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान दर्शाता है। ऐसी स्थितियों में, यह मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि राकेश रमन बनाम कविता (उपरोक्त) मामले में, पति को तलाक का आदेश इसलिए मिला क्योंकि वह अपनी पत्नी से लंबे समय से अलग रह रहा था। अपने तर्क के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सुभांशु सरकार बनाम इंद्राणी सरकार के फैसले का भी हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 720 में दी गई है।

9. उत्तरदाता-पत्नी के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि उत्तरदाता ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है और वह अपने बेटे के साथ अपीलकर्ता-पति के साथ रहने को तैयार है। अधिवक्ता ने आगे दलील दी है कि उत्तरदाता-पत्नी ने लिखित बयान में दिए गए तथ्य को पूरी तरह से सही ठहराया है। उसने मानसिक विकार और परित्याग के आरोपों से इनकार किया है। वह एक आज्ञाकारी पत्नी होने का दावा करती है और अपने पति-अपीलकर्ता के साथ रहना चाहती है। उसने अपीलकर्ता-पति के अपने सहकर्मी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाया है। उसने अपीलकर्ता के खिलाफ दहेज की मांग का भी आरोप लगाया है। यह भी दलील दी गई है कि उत्तरदाता-पत्नी को अपीलकर्ता ने छोड़ दिया है। उन्होंने आगे दलील दी है कि उत्तरदाता ने अपने पति और बेटे के साथ रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन अपने पति की गलती के कारण वह अपने पति के साथ नहीं रह पाई।

10. अपीलकर्ता की ओर से तीन गवाहों से पूछताछ की गई है। एडब्ल्यू-1 स्वयं अपीलकर्ता है, एडब्ल्यू-2 सुशील कुमार राय अपीलकर्ता के पिता हैं और एडब्ल्यू-3 इंद्रकांत ठाकुर हैं। मौखिक साक्ष्य के अलावा, अपीलकर्ता की ओर से कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं, जो हैं प्रदर्श-1 डॉ. सुरेश कुमार का दिनांक 17.06.2008 का मूल पत्र जो श्री नवीन कुमार को संबोधित है, प्रदर्श-2-डिस्चार्ज और फॉलो-अप कार्ड, पीजीआई, चंडीगढ़, से सीआर सं ए137648 दिनांक 08.10.2005 से 15.12.2005 तक और प्रदर्श-3-महिला पुलिस थाना मामला सं 49/2014 की प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

11. उत्तरदाता की ओर से दो गवाहों से पूछताछ की गई है। ओ. पी. डब्ल्यू.-1 सुधा राय हैं, जो स्वयं उत्तरदाता हैं और ओ. पी. डब्ल्यू.-2 बैधनाथ चौधरी हैं, जो उत्तरदाता के पिता हैं। मौखिक साक्ष्य के अलावा, उत्तरदाता की ओर से कुछ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें प्रदर्श-ए- महिला पुलिस थाना मामला सं 49/2014 दिनांक 08.07.2014 के आरोप पत्र सं 36/2015 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-बी-जी.आर.सं 1852/2014, में पारित संज्ञान आदेश दिनांक 21.03.2016 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-सी- सुधा राय (उत्तरदाता-पत्नी) के नाम से बी.एड. का मूल प्रमाण पत्र दिनांक 09.09.2012, प्रदर्श-डी-केन्द्रीय विद्यालय सं 2, दरभंगा द्वारा जारी दिनांक 15.03.2010 का मूल प्रमाण पत्र, प्रदर्श-ई- दिल्ली पब्लिक स्कूल, दरभंगा द्वारा जारी दिनांक 02.11.2009 का मूल अनुभव प्रमाण पत्र शामिल हैं।

12. इसके बाद, पारिवारिक न्यायालय ने न्यायिक पृथक्करण का निर्णय दर्ज किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने वर्तमान विविध अपील प्रस्तुत की है।

13. मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, सवाल उठता है:

(i) क्या अपीलकर्ता ने क्रूरता के साथ-साथ परित्याग के आधार पर मामला साबित किया है?

(ii) क्या उत्तरदाता इस हद तक सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है कि अपीलकर्ता से उत्तरदाता के साथ रहने की यथोचित अपेक्षा नहीं की जा सकती है?

(iii) या क्या वैवाहिक अधिकार की राहत के लिए जवाबी दावा बनाए रखने योग्य है?

जो मुद्दे उत्तरदाता के विरुद्ध प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय द्वारा तय किए गए हैं, उन्हें इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है; अतः उत्तरदाता के विरुद्ध जो निर्णय हुए हैं, वे अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं।

14. एडब्ल्यू-1, जो स्वयं अपीलकर्ता है, की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का विश्लेषण करना आवश्यक है। मुख्य परीक्षण के दौरान, एडब्ल्यू-1 ने याचिका के तथ्य पर जोर दिया है और उसने विशेष रूप से कहा है कि उत्तरदाता-पत्नी का आचरण चचेरे भाई, सहकर्मी और माता-पिता के प्रति अभद्र था। उसने इस आरोप का भी खंडन किया है कि उसने महिला सहकर्मी को अनुचित वरीयता दी है। उसने आगे कहा कि उत्तरदाता का आचरण इतना अनुचित था कि अपीलकर्ता ने खुद को उत्तरदाता-पत्नी के साथ रहने के लिए उपयुक्त नहीं पाया। उसने उत्तरदाता-पत्नी के मानसिक विकार के संबंध में डॉक्टर की मदद ली है, लेकिन उत्तरदाता का इलाज करने वाले डॉक्टर की जांच नहीं की गई है। फिर अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी रिपोर्ट साक्ष्य के

अवलोकन के लिए प्रामाणिक नहीं है। लेकिन एडब्ल्यू-1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं। यद्यपि वर्ष 2004 में एक पुत्र का जन्म हुआ और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच संबंध बिगड़ते चले गए और दोनों पक्षों का मिलन असंभव हो गया क्योंकि उत्तरदाता-पत्नी का आचरण तब और भी खराब हो गया जब उसने अपीलकर्ता के सहकर्मों पर निराधार आरोप लगाए और अपीलकर्ता और उत्तरदाता के जीवन से विश्वास उठ गया। एडब्ल्यू-1 में आगे कहा गया है कि अपीलकर्ता ने सितंबर 2001 में चंडीगढ़ लौटने के बाद उत्तरदाता-पत्नी के व्यवहार में बदलाव देखा और साथ ही उसने यह भी दावा किया कि उत्तरदाता ने उसे कार्यालय के सहकर्मियों और पड़ोसियों से बात न करने के लिए मजबूर किया। अपीलकर्ता ने आगे कहा है कि जब वह 10.05.2002 को चंडीगढ़ लौटा, तो उत्तरदाता ने उसके माता-पिता के साथ आपत्तिजनक और अपमानजनक व्यवहार किया और उत्तरदाता का व्यवहार अमानवीय आचरण की सभी सीमाओं को पार कर गया, जबकि अपीलकर्ता ने मामले को शांत करने के लिए कई प्रयास किए थे। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता की माँ को उत्तरदाता ने एक *डायन* बताया था और वह अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों के साथ सभी संबंध तोड़ना चाहती थी। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता द्वारा लगाए गए विवाहेतर संबंध के आरोप से इनकार किया है, साथ ही गर्भपात के आरोप से भी इनकार किया है। उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि दीपिका चंडीगढ़ में उनकी सहकर्मि थीं। हालाँकि, उत्तरदाता कभी-कभी अपनी सहकर्मि दीपिका के आने-जाने पर आपत्ति जताते थे। प्रतिवाद के दौरान एडब्ल्यू-1/ अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तरदाता का अभद्र व्यवहार सितंबर 2001 से मई 2008

तक अपीलकर्ता के माता-पिता और परिवार के सदस्यों के प्रति जारी रहा। अपीलकर्ता ने एक सुखी वैवाहिक जीवन जीने की पूरी कोशिश की, लेकिन उत्तरदाता की ओर से वैवाहिक दायित्व को पूरा करने में कोई पारस्परिकता नहीं दिखाई गई। तलाक की कार्यवाही के दौरान, न्यायालय के निर्देश पर अपीलकर्ता उत्तरदाता को उसके बेटे के साथ अपने घर ले गया, लेकिन कुछ समय बाद उत्तरदाता का व्यवहार अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति क्रूर पाया गया, जिसकी गवाही पहले भी कई मौकों पर दी जा चुकी है। उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के माता-पिता या अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई संपर्क नहीं रखा और उनके प्रति सम्मान भी नहीं दिखाया। जब-जब उत्तरदाता को परिवार के साथ रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया गया, तब-तब टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अपीलकर्ता को शारीरिक चोट तब लगी जब वह उत्तरदाता-पत्नी के साथ रह रहा था और अपीलकर्ता के चाचा को भी चोटें आईं। अपीलकर्ता ने यह भी कहा है कि उत्तरदाता ने आत्महत्या का प्रयास किया था।

15. एडब्ल्यू-2 सुशील कुमार राय अपीलकर्ता के पिता हैं। उन्होंने एडब्ल्यू-1/अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समर्थन किया है कि उत्तरदाता ने परिवार के सदस्यों के प्रति अभद्र व्यवहार किया है और उसका, डॉ. पी.के. सिंह के द्वारा मानसिक विकार का इलाज किया जा रहा था और साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने आगे गवाही दी कि उत्तरदाता वर्ष 2008 से अपने पैतृक घर में रह रही है, लेकिन जिरह के दौरान वह सिज़ोफ्रेनिया के प्रकार का पता लगाने में असमर्थ रहे और उन्होंने एडब्ल्यू-1 के इस कथन का समर्थन किया कि उत्तरदाता परिवार के किसी भी सदस्य के साथ सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरदाता का व्यवहार

माता-पिता के साथ अच्छा नहीं था। उन्होंने एडब्ल्यू-1/अपीलकर्ता के इस कथन का भी समर्थन किया कि उत्तरदाता रात में तेज़ आवाज़ में टीवी सुनती थी।

16. एडब्ल्यू-3 इंद्रकांत ठाकुर ने एडब्ल्यू-1/अपीलकर्ता के संस्करण का भी समर्थन किया है। एडब्ल्यू-3 इंद्रजीत ठाकुर ने इस बात का समर्थन किया है कि उत्तरदाता ने उसके ससुराल वालों का अपमान किया था। उन्होंने यह भी समर्थन किया कि उत्तरदाता की सास का नाम डायन के रूप में रखा गया था, लेकिन जवाबी दावे में एडब्ल्यू-2 और एडब्ल्यू-3 की जांच नहीं की गई है।

17. ओपीडब्ल्यू-1 स्वयं उत्तरदाता-पत्नी है। उसने लिखित बयान के तथ्य का समर्थन किया है और विशेष रूप से कहा है कि उसके पति-अपीलकर्ता का एक महिला सहकर्मी के साथ अवैध संबंध है, जो उसके समान पद की है और इसी कारण से उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसने आगे गवाही दी कि इसी कारण से अपीलकर्ता-पति ने उसे छोड़ दिया। उसने इस आरोप से इनकार किया कि वह सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। उसने अपीलकर्ता के अत्याचारी व्यवहार के आरोप का भी खंडन किया। उसने कहा है कि यह आरोप कि वह सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, पूरी तरह से निराधार है और वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। वह न तो मानसिक रूप से बीमार थी और न ही उक्त बीमारी से पीड़ित थी। उसने कहा है कि उसके पति-अपीलकर्ता नाबार्ड में काम करते थे। उसने आरोप लगाया है कि उसके पति-अपीलकर्ता का एक महिला सहकर्मी (दीपिका) के साथ अंतरंग संबंध है और उसने यह भी कहा है कि अपीलकर्ता का उक्त महिला के साथ अवैध संबंध है। उसने इस आरोप से इनकार किया कि वह तेज़ आवाज़ में

टीवी देखती थी। उसने इस आरोप से इनकार किया कि उसका एनआईएमएचएनएस और चंडीगढ़ में इलाज चल रहा था। उसने अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप से इनकार किया। प्रतिवाद में ओपीडब्ल्यू-1/उत्तरदाता ने कहा है कि उसने अपने बेटे के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए वैवाहिक जीवन जीने के लिए वैवाहिक अधिकार की बहाली के लिए प्रतिवाद दायर किया है और अपीलकर्ता ने उसे बिना किसी कारण के छोड़ दिया है क्योंकि वह अपीलकर्ता के साथ रहने के लिए तैयार थी। अपीलकर्ता-पति ने तलाक की याचिका दायर करने के लिए उसके खिलाफ मानसिक विकार का आरोप लगाया लेकिन उसने दावा किया कि वह 10 वीं से बी.ए. तक के शैक्षणिक अभिलेख के आधार पर मानसिक रूप से स्वस्थ है। उसने प्रथम श्रेणी से अधिक अंक प्राप्त किए और वह दिसंबर 2008 से सितंबर 2009 तक डी.पी.एस., दरभंगा में कंप्यूटर प्रशिक्षक थी और सितंबर 2009 से फरवरी 2010 तक केंद्रीय विद्यालय, दरभंगा में थी। उसने बी.एड. पाठ्यक्रम में 82.30% अंक प्राप्त किए। उसने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता-पति ने कभी दहेज की मांग पर और कभी अपनी सहकर्मि (दीपिका) के साथ अंतरंग संबंध स्थापित करके उसके साथ क्रूर व्यवहार किया। उसने आगे कहा कि उसके पिता और रिश्तेदारों ने सभी प्रयास किए, लेकिन वे तलाक की याचिका दायर करने पर अड़े रहे और उसे रखने से इनकार कर दिया। जब अपीलकर्ता ने उक्त कारण से उसे रखने से इनकार कर दिया, तो उसने वैवाहिक अधिकार की बहाली के संबंध में प्रतिवाद दायर किया। जिरह के दौरान, उसने न्यायालयों से अपने पति-अपीलकर्ता के साथ रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। उसने स्वीकार किया है कि विवाह के बाद, वर्ष 2001 में जब वह अपने पति के साथ रहने आई, तो वह चार महीने अपने ससुराल में रही और वर्ष 2002 में वह

छह महीने अपने पति-अपीलकर्ता के साथ रही। उसने बताया कि 24.04.2002 को हमारे बेटे का जन्म हुआ। उसने स्वीकार किया कि वह वर्ष 2004 में पूरे एक साल अपने पति के साथ रही। उसने बताया कि वर्ष 2001 से वर्ष 2008 तक उसने अपना अधिकांश समय अपने पति-अपीलकर्ता के साथ बिताया। उसने बताया कि इस दौरान उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। उसने बताया कि उसके पति ने उसके साथ 6 से 7 बार मारपीट की, लेकिन उसने अपने माता-पिता से इस व्यवहार की कोई शिकायत नहीं की और न ही उसने कोई शिकायत की, की उसके ससुराल वालों का व्यवहार असहयोगी था। उसने कहा है कि उसे 2008 से 2016 तक दीपिका और उसके पति के बीच संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि वर्ष 2011 में न्यायालयों द्वारा किए गए समझौते के आधार पर, वह अपने बेटे के साथ अपने पति के घर गई थी। उसने कहा है कि 22.05.2011 को उसके पति-अपीलकर्ता ने आवेदन दिया था कि उत्तरदाता को उसके माता-पिता द्वारा अपीलकर्ता के घर से ले जाया जाएगा।

18. ओपीडब्ल्यू-2/बैधनाथ चौधरी उत्तरदाता के पिता हैं। उन्होंने आरोप के बिंदु पर ओपीडब्ल्यू-1/उत्तरदाता के तथ्य का समर्थन किया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अपीलकर्ता का दीपिका नामक एक महिला के साथ अवैध संबंध है और इसका विरोध उनकी बेटी-उत्तरदाता ने किया था और उक्त आरोप के बिंदु पर अपीलकर्ता के माता-पिता द्वारा उनकी बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का कभी किसी मनोचिकित्सक द्वारा इलाज नहीं कराया गया। वह मानसिक रूप से स्वस्थ थी और वह हमेशा अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करती थी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी ने दीपिका के साथ

अपने दामाद के संबंध के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की है। उनकी बेटी ने अपीलकर्ता द्वारा की गई यातना के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की है। ओपीडब्ल्यू-2 ने अपने प्रतिवाद में कहा कि उनकी बेटी एक मेधावी छात्रा थी। उसका शैक्षणिक जीवन उत्कृष्ट था और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका दामाद उनकी बेटी (उत्तरदाता) और बेटे को अपने पास रखेगा। उन्होंने आगे बताया कि मामला दर्ज करने के बाद, 07.03.2011 तक उनकी बेटी ससुराल और मायके दोनों जगहों पर रहती थी। उसने 14.09.2009 से 28.02.2010 तक केंद्रीय विद्यालय, रामनगर, लहेरियासराय में कंप्यूटर प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया था।

19. दोनों पक्षों के साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता और उत्तरदाता का वैवाहिक जीवन विवाद का विषय बन गया है और एक बच्चे का जन्म हुआ है जो अब बालिग हो गया है, क्योंकि उक्त बच्चे का जन्म 24.04.2002 को हुआ था। दोनों पक्षों के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2011 के बाद, दोनों पक्षों ने वैवाहिक दायित्व नहीं निभाया है क्योंकि भावना और विश्वास, जो विवाह के आवश्यक अंग हैं, क्षीण हो गए हैं और यह निर्विवाद तथ्य है कि 2011 के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाह संपन्न नहीं हुआ है। न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित होने के बाद भी दोनों पक्ष एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं और न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित होने के बाद से विवाह संपन्न नहीं हुआ है। दोनों पक्ष अलग-अलग रह रहे हैं। सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस प्रकार, वर्ष 2011 से लगभग 12 वर्ष बीत चुके हैं और यह संबंध गतिरोधग्रस्त हो गया है।

20. विवेकपूर्ण और व्यावहारिक रूप से विवाह संस्था समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह

एक स्थापित तथ्य है कि हिंदू विवाह को शुरू में एक संस्कार माना जाता था, लेकिन समय के साथ जीवन जीने के व्यावहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, अब यह आंशिक रूप से संस्कार बन गया है। न्यायालयों में तलाक की कार्यवाही दायर करने का चलन बढ़ने के बावजूद, विवाह संस्था को अभी भी वर्तमान भारतीय समाज में पति और पत्नी के बीच एक पवित्र, आध्यात्मिक और अमूल्य भावनात्मक जीवन-बंध माना जाता है और कई रिश्ते समाज में वैवाहिक संबंधों से शुरू होते हैं और जगह बनाते हैं।

21. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने साक्ष्य के माध्यम से कहा है कि उत्तरदाता इस आधार पर अपीलकर्ता के दावे को नकारता है कि अपीलकर्ता ने अपनी सहकर्मी दीपिका की अनावश्यक देखभाल की है और उसके साथ उसके अंतरंग संबंध हैं और इस संबंध ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी के साथ अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया है। उत्तरदाता द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप से पति-अपीलकर्ता, जो नाबार्ड में सहायक प्रबंधक हैं, को मानसिक पीड़ा पहुँचती है और उत्तरदाता-पत्नी का व्यवहार अपीलकर्ता के परिवार के किसी भी सदस्य के साथ सामान्य संबंध न रखने का है, जो उत्तरदाता के आचरण की प्रकृति को दर्शाता है जिससे अपीलकर्ता के जीवन में असंतुलन पैदा हो रहा है। यद्यपि उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि उसका अपनी सहकर्मी के साथ संबंध है, परंतु ऐसा कुछ भी अभिलेख में नहीं है जिससे यह पता चले कि उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के अपनी सहकर्मी के साथ अंतरंग संबंध के संबंध में कोई शिकायत दर्ज की है और यद्यपि आरोप स्पष्ट रूप से लिखित बयान और प्रतिदावे में लगाए गए हैं, परंतु उक्त आरोप निरर्थक होगा जब उसने पक्षकार नहीं बनाया है और उसे मामले में बचाव का अवसर नहीं दिया गया है। इस

प्रकार, निराधार आरोप केवल लिखित बयान में स्व-घोषित तथ्य है और प्रतिदावा निरर्थक और अस्पष्ट है। यहाँ तक कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी-उत्तरदाता के विरुद्ध यह आरोप भी लगाया है कि वह सिज़ोफ्रेनिया नामक एक प्रकार के मानसिक विकार से पीड़ित है, जो केवल पति की ओर से लगाया गया आरोप है, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। न तो दस्तावेज़ के लेखक की जाँच की गई है और न ही उस डॉक्टर की जाँच की गई है जिसने मरीज का इलाज किया है। उपरोक्त सामग्री के अभाव में, आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट और अर्थहीन है, जिसका साक्ष्य मूल्य की प्रक्रिया में कोई आधार नहीं है।

22. *समर घोष बनाम जया घोष (2007) 4 एससीसी 511* में

दर्ज मामले को उद्धृत करना आवश्यक है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि न्यायालय को यह तय करना है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) (1-ए) के तहत क्रूरता क्या होगी। उपरोक्त निर्णय में एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश क्रूरता का निर्धारण करने में न्यायालय के दृष्टिकोण पर है। यहाँ जिस चीज़ की जाँच की जानी है, वह है संपूर्ण वैवाहिक संबंध, क्योंकि क्रूरता किसी हिंसक कृत्य या कृत्यों में नहीं हो सकती है, बल्कि किसी दिए गए मामले में उसे हानिकारक निन्दा, शिकायतें, आरोप, ताने आदि से एकत्रित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों में वैवाहिक संबंधों में क्रूरता की परिभाषा पर भरोसा किया, जिसे यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:- .

"क्रूरता के सभी मामलों में सामान्य नियम यह है कि संपूर्ण वैवाहिक संबंध पर विचार किया जाना चाहिए, और यह नियम विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब क्रूरता में हिंसक कृत्य शामिल न हों, बल्कि हानिकारक निन्दा, शिकायतें, आरोप या ताने शामिल हों। ऐसे मामलों में जहाँ हिंसा का कोई

आरोप न लगाया गया हो, न्यायिक निर्णयों पर विचार करना अवांछनीय है ताकि कृत्यों या आचरण की कुछ श्रेणियाँ बनाई जा सकें, जिनमें ऐसी प्रकृति या गुण हो या न हो जो उन्हें सभी परिस्थितियों में क्रूरता के योग्य या अयोग्य बनाता हो; क्योंकि क्रूरता की शिकायत का आकलन करने में आचरण का प्रभाव उसकी प्रकृति के बजाय सर्वोपरि होता है। क्या एक पति या पत्नी दूसरे के प्रति क्रूरता का दोषी है, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है और पहले से तय मामलों का बहुत कम, यदि कोई हो, मूल्य होता है। न्यायालयों को पक्षों की शारीरिक और मानसिक स्थिति के साथ-साथ उनकी सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए, और एक पति या पत्नी के व्यक्तित्व और आचरण के मन पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना चाहिए। दूसरे पक्ष के, पति-पत्नी के बीच सभी घटनाओं और झगड़ों को उसी दृष्टिकोण से तौलना; इसके अलावा, कथित आचरण की जाँच शिकायतकर्ता की सहनशीलता और इस क्षमता के बारे में दूसरे पति/पत्नी को कितनी जानकारी है, के आलोक में की जानी चाहिए।

23. वर्तमान मामले में, हम मौजूदा तथ्यों पर विचार करते हैं। हमारा मानना है कि विवाह के जारी रहने का अर्थ होगा क्रूरता का जारी रहना, जो अब प्रत्येक पक्ष दूसरे पर ढा रहा है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, विवाह का अपूरणीय रूप से टूटना विवाह विच्छेद का आधार नहीं हो सकता, लेकिन क्रूरता है। विवाह को तलाक के आदेश द्वारा, अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर भंग किया जा सकता है कि दूसरे पक्ष ने "विवाह के बाद, याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है"। हमारी सुविचारित राय में, एक वैवाहिक रिश्ता जो वर्षों से और भी कड़वा और कटु होता जा रहा है, दोनों पक्षों पर क्रूरता करने के अलावा कुछ नहीं करता। इस टूटे हुए विवाह के

मुखौटे को जीवित रखना दोनों पक्षों के साथ अन्याय होगा। हमारी राय में, एक विवाह जो अपूरणीय रूप से टूट गया है, दोनों पक्षों के लिए क्रूरता का कारण बनता है, क्योंकि ऐसे रिश्ते में प्रत्येक पक्ष दूसरे के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहा है। इसलिए यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(1ए) के तहत विवाह विच्छेद का आधार है।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *राकेश रमन बनाम कविता* मामले में, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 497 के अनुच्छेद 18, 19, 20 में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"18. अधिनियम के तहत क्रूरता को परिभाषित नहीं किया गया है। फिर भी, जिस संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया गया है, जो कि विवाह विच्छेद के आधार के रूप में है, वह दर्शाता है कि इसे वैवाहिक संबंध में 'मानवीय आचरण' और 'व्यवहार' के रूप में देखा जाना चाहिए। समर घोष (सुप्रा) के मामले में विचार करते हुए, इस न्यायालय ने यह राय दी कि क्रूरता शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है:-

"46.... अगर यह शारीरिक है, तो यह तथ्य और उसकी गंभीरता का प्रश्न है। अगर यह मानसिक है, तो जांच क्रूर व्यवहार की प्रकृति से शुरू होनी चाहिए और फिर ऐसे व्यवहार का पति/पत्नी के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या इससे यह आशंका पैदा हुई कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक या नुकसानदेह होगा, अंततः, यह निष्कर्ष निकालने का विषय है कि व्यवहार की प्रकृति और शिकायतकर्ता पति/पत्नी पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

19. क्रूरता अनजाने में भी हो सकती है:-

..... इस मामले में इरादे की अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यदि मानवीय मामलों में सामान्य समझ से, जिस कृत्य की शिकायत की गई है उसे अन्यथा क्रूरता माना जा सकता है। क्रूरता में इरादा एक आवश्यक तत्व नहीं है। पक्ष को राहत देने से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि जानबूझकर या जानबूझकर कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है।"

20. हालाँकि इस न्यायालय ने अंततः मानसिक क्रूरता के कुछ उदाहरण दिए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) पक्षकारों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन को ध्यान में रखते हुए, तीव्र मानसिक पीड़ा, वेदना और कष्ट जो पक्षकारों के लिए एक-दूसरे के साथ रहना संभव न बना सके, मानसिक क्रूरता के व्यापक मानदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं।

(xii) बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के काफी समय तक संभोग करने से इनकार करने का एकतरफा निर्णय मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।

(xiii) विवाह के बाद पति या पत्नी में से किसी एक का विवाह से संतान न पैदा करने का एकतरफा निर्णय क्रूरता माना जा सकता है।

(xiv) जहाँ लगातार अलगाव की लंबी अवधि रही हो, वहाँ यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन अब सुधार के परे है। कानूनी बंधन द्वारा समर्थित होने के बावजूद, विवाह एक कल्पना बन जाता है। ऐसे मामलों में, उस बंधन को तोड़ने से इनकार करके, कानून विवाह की पवित्रता की रक्षा नहीं करता; बल्कि, यह पक्षकारों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थितियों में, यह मानसिक क्रूरता को जन्म दे सकता है।

(जोर दिया गया)

25. वर्तमान मामले में, तलाक की कार्यवाही चल रही है और उत्तरदाता द्वारा प्रतिवाद भी किया गया है। पति-अपीलकर्ता ने साक्ष्यों के माध्यम से अपनी पत्नी-उत्तरदाता के दावे को नकार दिया। अपीलकर्ता ने साबित कर दिया है कि उसके पास उत्तरदाता-पत्नी के साथ न रहने का कारण है क्योंकि उसने अपीलकर्ता के सहकर्मी के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं और वह अपने ससुराल वालों का सम्मान नहीं करती। यह निर्विवाद तथ्य है कि न्यायालयों के प्रयास से दोनों पक्ष वर्ष 2011 में एक साथ रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद वे एक साथ नहीं रहे। 2011 के बाद से, दोनों पक्ष एक साथ नहीं रह रहे हैं। उत्तरदाता ने यह साबित नहीं किया है कि उसने अपीलकर्ता-पति के खिलाफ निराधार आरोप क्यों लगाए हैं और वह अपने पति के खिलाफ प्रेम संबंध के आरोप को साबित करने में विफल रही है और न्यायिक पृथक्करण के समय से, अर्थात् वर्ष 2018 में, न्यायिक पृथक्करण के आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई है। न्यायालय द्वारा विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि व्यावहारिक रूप से दोनों पक्ष एक साथ नहीं रह रहे हैं और उनके जीवन से भावनात्मक और विश्वास का रिश्ता खत्म हो गया है जो एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव पैदा करता है और अपीलकर्ता-पति ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया है कि उसके खिलाफ निराधार आरोपों के कारण वह उत्तरदाता-पत्नी के साथ रहने में असमर्थ है। उत्तरदाता का आचरण असहनीय हो गया है क्योंकि वह अपने ससुराल वालों का कोई सम्मान नहीं करती। न्यायालय के आदेश के आधार पर पति-अपीलकर्ता द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वह

अपनी पत्नी को अपने घर ले गया, लेकिन वह नहीं रही और पत्नी का आचरण कई मौकों पर अपीलकर्ता के परिवार में रहने के लिए अनुकूल नहीं था, जिसे पति-अपीलकर्ता ने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया है। व्यावहारिक और विवेकपूर्ण तरीके से, दोनों पक्षों के बीच एक साथ रहने के लिए 12 वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। इस प्रकार, सभी उद्देश्यों के लिए, वैवाहिक बंधन का कोई अर्थ नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10(1)(बी) के वैधानिक प्रावधान के अनुसार, क्रूरता क्या है, यह इस कानून की शर्तों पर निर्भर करता है, जो यह प्रावधान करती है:

"10. (1) विवाह का कोई भी पक्ष, चाहे इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में संपन्न हुआ हो, जिला न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत कर सकता है जिसमें न्यायिक पृथक्करण के लिए एक डिक्री की प्रार्थना की जाती है इस आधार पर कि दूसरे पक्ष ने—

(बी) याचिकाकर्ता के साथ ऐसी क्रूरता से व्यवहार किया है जिससे याचिकाकर्ता के मन में यह उचित आशंका उत्पन्न होती है कि यह उसके लिए हानिकारक या क्षतिकर होगा

26. 1994 में प्रकाशित *वी. भगत बनाम डी. भगत* के मामले *एआईआर 710* में क्रूरता की अवधारणा की जाँच *शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी (1988) 1 एससीसी 105* में प्रकाशित मामले का हवाला देकर की गई है। "क्रूरता" शब्द को हिंदू विवाह अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, इसका प्रयोग अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) में वैवाहिक कर्तव्यों या दायित्वों के संबंध में मानवीय आचरण या व्यवहार के संदर्भ में किया गया है। यह एक व्यक्ति के आचरण का ऐसा तरीका है जो दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। यदि

यह शारीरिक है, तो यह तथ्य और उसकी मात्रा का प्रश्न है। यदि यह मानसिक है, तो जाँच क्रूर व्यवहार की प्रकृति और फिर जीवनसाथी के मन पर इस व्यवहार के प्रभाव से शुरू होनी चाहिए। क्या इससे यह आशंका पैदा हुई कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक या नुकसानदेह होगा, अंततः यह एक निष्कर्ष का विषय है जिसे आचरण की प्रकृति और शिकायतकर्ता पति/पत्नी पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निकाला जाना चाहिए।

27. अपीलकर्ता ने कई मौकों पर यह साबित किया है कि उत्तरदाता-पत्नी का आचरण स्वाभाविक नहीं था जो अनुकूल नहीं था। उसकी पत्नी के आचरण के कारण उसका व्यवहार और आचरण परिवार में सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए सामान्य नहीं था, वह परिवार के सदस्यों या यहाँ तक कि सहकर्मियों के साथ भी संबंध बनाए रखने की स्थिति में नहीं था और जिस विश्वास को उत्तरदाता-पत्नी द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक था, उसने अपना सपना खो दिया और अपीलकर्ता को दिन-प्रतिदिन के जीवन में मानसिक पीड़ा और यातना सहनी पड़ी, जो उत्तरदाता-पत्नी के यातनापूर्ण आचरण का एक नियमित हिस्सा बन गया। इसलिए अपीलकर्ता ने उत्तरदाता-पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन नहीं जीने का निर्णय लिया है। हालाँकि उसने अपने लिखित बयान और प्रतिदावे में स्पष्ट दावा किया है कि वह वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन उसने अपने पति के खिलाफ विवाहेतर संबंध का आरोप लगाया है जिसे वह साबित करने में विफल रही क्योंकि उसने अपने पति के उक्त विवाहेतर संबंध के खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है और न ही उसे पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार, अपने लिखित बयान और प्रतिदावे में, उसने पति के खिलाफ अपना मामला साबित नहीं किया है। उत्तरदाता के विद्वान वकील का तर्क मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों के मद्देनजर न तो मान्य है और न ही टिकने योग्य है और यहाँ तक कि उसने पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को भी चुनौती नहीं दी है। इसके विपरीत, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क मान्य और स्थायी है कि सभी उद्देश्यों के लिए, पक्षकार 12 वर्षों से एक साथ नहीं रहे हैं और पति ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि उसे विवाहेतर संबंध के निराधार आरोप के कारण मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है और साथ ही कई अवसरों पर उसकी पत्नी के आचरण के कारण भी जो सामान्य जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं हैं।

28. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, मुद्दा सं (i) अपीलकर्ता-पति के पक्ष में तय किया गया है। अपीलकर्ता-पति मुद्दा सं (ii) को साबित करने में विफल रहा क्योंकि उसके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है। जहाँ तक मुद्दा सं (iii) का संबंध है, जो उत्तरदाता-पत्नी से संबंधित है, उसने आलोचना किए गए निर्णय को चुनौती नहीं दी है और यह उसके विरुद्ध अंतिम रूप से लागू हो गया है। उसने अपीलकर्ता-पति के विरुद्ध निराधार आरोप लगाए हैं और पत्नी का आचरण कई अवसरों पर सामान्य जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं रहा है। तदनुसार, मुद्दा सं (iii) उत्तरदाता-पत्नी के विरुद्ध तय किया जाता है।

29. सभी पहलुओं पर, पूर्वगामी अनुच्छेदों में की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि आक्षेपित निर्णय और तलाक का आदेश न्यायोचित और विधिक नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। तदनुसार, वैवाहिक वाद सं 10/2009 में प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, दरभंगा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 19.01.2018 और डिक्री दिनांक 25.01.2018 को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता-पति को

तलाक का आदेश दिया जाता है। उनका विवाह विघटित हो गया है। वर्तमान एम.ए. सं 653/2018 को स्वीकार किया जाता है।

30. 22.01.2024 को दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए और अपीलकर्ता/पति ने 50,00,000/- रुपये (पचास लाख रुपये) की स्थायी गुजारा भत्ता राशि और अपने बेटे की शिक्षा और अन्य व्यक्तिगत खर्चों के लिए स्वतंत्र रूप से उसका भरण-पोषण करने का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, यह प्रस्ताव उत्तरदाता-पत्नी को स्वीकार्य नहीं था।

31. हालाँकि, वर्तमान में अपीलकर्ता/पति नाबार्ड में महाप्रबंधक हैं और उन्होंने अपना दूसरा पूरक हलफनामा दाखिल करके स्वीकार किया है कि उनका शुद्ध वेतन 1,41,358 रुपये है और इस न्यायालय के दिनांक 21.04.2022 के आदेश से पता चलता है कि अपीलकर्ता विवाह से पैदा हुए बच्चे के अन्य खर्चों के अलावा उत्तरदाता को 30,000 रुपये का भुगतान कर रहा है। सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता द्वारा उत्तरदाता को भुगतान की जाने वाली स्थायी गुजारा भत्ता राशि 60,00,000 रुपये (साठ लाख रुपये) निर्धारित की गई है। यह राशि आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तरदाता-पत्नी के नाम इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा की जाएगी। अपीलकर्ता-पति द्वारा स्थायी गुजारा भत्ता का भुगतान करने के बाद, उत्तरदाता-पत्नी 30,000/- रुपये प्रति माह के भरण-पोषण भत्ते के अपने दावे को खो देगी, सिवाय उन बकाया राशि के जो अब तक भुगतान नहीं की गई हैं। तलाक का आदेश ऐसी जमा राशि की तिथि से ही प्रभावी होगा। ऐसी जमा राशि जमा होने पर, रजिस्ट्री उत्तरदाता-पत्नी की साख का सत्यापन करने के बाद, इस न्यायालय को आगे कोई संदर्भ दिए बिना उत्तरदाता-पत्नी को राशि वितरित कर देगी।

32. रजिस्ट्री को तदनुसार तलाक की डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

33. इसके अलावा, अपीलकर्ता ने स्वीकार किया है कि 30,000 रुपये के भरण-पोषण भत्ते के अलावा, वह वैवाहिक संबंध से पैदा हुए बच्चे का खर्च भी वहन कर रहा है, लेकिन इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा, बेटा 24.04.2002 को पैदा हुआ था और अब वह बालिग हो गया है। वह कानून के अनुसार अपीलकर्ता की पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा लेने का हकदार है।

34. यदि कोई लंबित आई. ए. हों, तो वे भी निपटाए जाते हैं।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

शहजाद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।